न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश भिवाडी, जिला खैरथल तिजारा

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 जीतेन्द्र सावंरिया, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी निगरानी संख्या : 22/2024
सी.आई.एस. नंबर : 11/2024

1. उदित कुमार उर्फ हनी पुत्र अजय कुमार, निवासी–भारत गैस गोदाम के पास, बेरली रोड, हजारी बास के पास, रेवाडी, जिला–रेवाडी हरियाणा ।

––निगराकार/अप्रार्थी––

विरूद्ध

1. अंजली पत्नी उदित कुमार उर्फ हनी, पुत्री बस्तीराम चौहान, हाल–निवासी बी–61, भगत सिंह कॉलोनी भिवाडी, पुलिस थाना–भिवाडी, जिला–अलवर, हाल जिला–खैरथल–तिजारा, राजस्थान।

––गैर–निगराकारान/प्रार्थिया

2. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

–––गैर–निगराकार––

....

फौजदारी निगरानी अन्तर्गत धारा 438 बी.एन.एस. विरूद्ध आदेश दिनांक 03.08.2024 द्वारा श्रीमति नीतू रानी,न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाड़ी, अंतरिम भरण पोषण (मुत.) प्रार्थना पत्र संख्या 01/10/2023 बउनवान अंजली बनाम उदित वगैरा

<u>उपस्थित:</u>

1– श्री मनीष वशिष्ठ, विद्वान अधिवक्ता वास्ते निगराकार ।

2– श्री कपिल कुमार गुप्ता विद्वान अधिवक्ता वास्ते गैर निगराकार संख्या–1

3– अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य ।

: आदेश: **दिनांक: 21.07.2026**

1. निगराकारान द्वारा यह निगरानी याचिका न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2024 से व्यथित होकर दिनांक 31.08.2024 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई , जिसे दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये गये।

2. संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि गैर–निगराकार संख्या–1 अंजली की ओर से न्यायालय न्यायिक मजि0 भिवाडी के समक्ष एक परिवाद 1. उदित उर्फ हनी पुत्र अजय कुमार, 2. अजय कुमार पुत्र किरोडीमल, 3. सीमा पत्नी अजय कुमार, 4. राजबाला, पत्नी अजीत, 5. अजीत पुत्र किरोडीमल, 6. अनिल पुत्र किरोडीमल, 7. अनीता पत्नी अनिल, 8. अन्नू उर्फ बिट्टू पुत्री अजीत, 9. तन्नू पुत्री अजीत, 10. बीर सिंह पुत्र हरि सिंह व 11. नामालूम पत्नी बीर सिंह के विरूद्ध बाबत अंतरिम भरण–पोषण इन तथ्यों के साथ पेश किया कि प्रार्थिया का विवाह दिनांक 01.12.2021 को अप्रार्थी संख्या–1 उदित उर्फ हनी के साथ हिन्दू रीति–रिवाज व धर्म बिरादरी के अनुसार वेदान्ता रिसोर्ट भिवाडी में संपन्न हुआ था। प्रार्थिया, अप्रार्थी संख्या–1 की विवाहिता पत्नी हैं। प्रार्थिया के पिता ने प्रार्थिया की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर काफी दान–दहेज व स्त्रीधन दिया था तथा प्रार्थिया की शादी में करीब 20 लाख रूपये खर्चा कर प्रार्थिया को राजी खुशी विदा किया था। प्रार्थिया जब विवाह पश्चात अपनी ससुराल गई तो प्रार्थिया ने अपने पत्नी धर्म व कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये तथा अप्रार्थी व उसके परिजनों की स्नेह व सम्मान देते हुये अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करना शुरू किया। प्रार्थिया ने अप्रार्थी व उसके परिवार को कभी किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दिया। मिन प्रार्थिया ने विवाह उपरान्त अप्रार्थी संख्या–1 की पति का पूर्ण दर्जा एवं सम्मान दिया तथा उसके परिवारजन व रिश्तेदारान (शेष अप्रार्थीगण) को भी पूरा सम्मान दिया, उनके साथ कभी किसी तरह का अनुचित एवं असामाजिक व्यवहार

नहीं किया। प्रार्थिया ने अपनी मर्यादा में रहकर संयमित आचरण कर अपने दाम्पत्य कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या–1 व उसके परिजनों का व्यवहार विवाह उपरांत से ही प्रार्थिया के प्रति कतई अच्छा नहीं रहा। अप्रार्थी व उसके परिवारजन व रिश्तेदारान, दहेज लोभी व लालची किस्म के लोग है, जिन्होने विवाह उपरान्त से ही मिन प्रार्थिया को कम दहेज लाने का ताना देकर गाली–गलौच व मारपीट कर दहेज की नाजायज मांग कर मानसिक, शारीरिक, शाब्दिक एवं भावनात्मक रूप से प्रताडित करना आरम्भ कर दिया। प्रार्थिया के माता–पिता को उक्त बातो की जानकारी लगने पर अप्रार्थी संख्या–1 व उसके परिजनों को काफी समझाया, लेकिन उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अप्रार्थी संख्या–1 क्रूर प्रवृति का शख्स है। साथ ही अप्रार्थी संख्या–2, जो कि नाते में प्रार्थिया का ससुर लगता है अय्यास किस्म का व्यक्ति है, जो कि प्रार्थिया को दान, दहेज के लिए शारिरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने के साथ–साथ मिन प्रार्थिया के साथ अश्लीलता पूर्ण व्यवहार करता था, कमरे में अकेला पाकर प्रार्थिया के गुप्तांगों व नाजुक अंगो पर हाथ लगाता था तथा प्रार्थिया के सिर से पल्ला उतारकर फेंक देता था तथा प्रार्थिया से कहता कि मुझे भी तू अपना पति मान सकती है और कहता कि जो तु अप्रार्थी संख्या–1 के साथ जो शारीरिक संबंध बनाती है वो मेरे साथ बना, मैं तुझे बहुत सा प्यार दूंगा। घर में तभी तू राजी–खुशी रह सकती है तथा प्रार्थिया को काफी देर तक सुबह चाय नाश्ते के समय अपने सामने बैठाकर रखता था और बुरी नजर से देखता था। जब प्रार्थिया इसकी शिकायत अपने पति अप्रार्थी संख्या–1 व अपनी सास अप्रार्थिया संख्या–3 से करती तो उपरोक्त लोग भी यही कहते कि चुपचाप रहा कर वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और कहते कि हमारे परिवार में तो यह आम बात है और यह कहकर गाली गलोच कर मिन प्रार्थिया को शांत कर देते थे। प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण से तंग व परेशान होकर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 92/2022, मुकामी महिला पुलिस थाना निवाडी के यहां दर्ज कराई थी, जिस संबंध में मुकामी महिला पुलिस थाना

भिवाडी ने चार्जशीट न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर दी है। शादी के बाद से ही प्रार्थिया का ससुर कहता था कि तू क्रेटा टॉप मॉडल गाडी नहीं लेकर आई और ना ही नकदी लेकर आई है, ऐसा कहकर प्रार्थिया को परेशान करता था, साथ ही अप्रार्थी संख्या–1 प्रार्थिया से कहता कि हमारे घर में ए.सी. नहीं है । अपने मॉ–बाप से ए.सी. लेकर आओ, जिस पर प्रार्थिया ने अपने मॉ–बाप से कहकर ए.सी. मंगाया और अप्रार्थी संख्या–1 के घर में ए.सी. लगवाया, उसके बाद प्रार्थिया का ससुर अप्रार्थी संख्या–2 व सास अप्रार्थी संख्या–3 कहते थे कि तेरे ऐसे कदम घर में पड़े है कि हमारा बेटा उदित नेवी में लगने से रह गया है और गन्दी–गन्दी गालिया देते और प्रार्थिया को मानसिक रूप से प्रताडित करते थे और घर से बाहर निकालने की धमकिया देते थे, जिनका साथ अप्रार्थी संख्या–4 व 5 देते थे और कहते थे कि सोने के आभूषण व अंगूठी वगैरा हमारे लिए नहीं लेकर आई और मारने पर उतारू हो जाते थे और जूते मारकर घर से बाहर निकालने की धमकी देते थे और अप्रार्थी संख्या–8 व 9 प्रार्थिया को बी.एड की फीस के पैसे प्रार्थिया के घर से लाने के लिए कहते थे और प्रताडित करते थे । साथ ही अप्रार्थी संख्या–6 व 7 ने प्रार्थिया व प्रार्थिया के परिवारजन को जून 2022 में धमकी दी कि हमें दहेज चाहिए नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो, प्रार्थिया की सास अप्रार्थी संख्या–3 व अप्रार्थी संख्या–6 व 7 तथा अप्रार्थी संख्या–10 व 11 प्रार्थिया को सामाजिक तौर पर सभी लोगो के सामने चरित्रहीन कहकर प्रार्थिया की मानहानि करते थे तथा दहेज की मांग करते थे और प्रार्थिया को भूखा व नंगा घर की कहकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। प्रार्थिया का ससुर अप्रार्थी संख्या–2 प्रार्थिया के साथ अश्लीलतापूर्ण व्यवहार करता था। प्रार्थिया उपरोक्त बातो की शिकायत अप्रार्थी संख्या–1 व अप्रार्थी संख्या–3 से करती तो वे कहते थे कि यदि यहॉ रहना है तो यह सब कुछ सहन करना पड़ेगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और गाली–गलौच करके प्रार्थिया को शान्त कर देते थे। दिनांक 08.07.2022 को प्रार्थिया के ससुरालजन ने बुरी तरह मारपीट की तथा प्रार्थिया के कमरे की लाईट

बन्द कर दी और प्रार्थिया को बुरी तरह प्रताडित किया। जब प्रार्थिया ने 112 पुलिस हैल्प लाईन नम्बर पर फोन किया तो स्थानीय पुलिस ने प्रार्थिया की मदद की वरना उपरोक्त प्रार्थिया को जान से खत्म कर देते। प्रार्थिया अपने पिता के पास भगत सिंह कॉलोनी भिवाडी में मजबूरन रह रही है। प्रार्थिया के पिता जो कि काफी बुजुर्ग व्यक्ति है, जो कि कमाने–खाने में असमर्थ है। प्रार्थिया के पिता के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, ना ही प्रार्थिया के पास आमदनी का कोई जरिया है। जबकि अप्रार्थी संख्या–1 जो कि जमीन जायदाद व मकान किराया से लगभग 40,000/– रूपये प्रतिमाह कमा लेता है साथ ही प्राईवेट तौर पर कार्य करके लगभग 15,000/– रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त अर्थात कुल लगभग 55,000/– रूपये प्रतिमाह कमा कर अर्जित कर लेता है। प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार न्यायालय शुल्क चस्पा कर पेश है। अतः प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र धारा 125 सी.आर.पी.सी. के निस्तारण तक प्रार्थिया को बतौर अन्तरिम भरण पोषण हेतु 15,000/– रूपये प्रतिमाह अप्रार्थी संख्या–1 से दिलवाये जाने की कृपा करें साथ ही शेष अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या– 1 व 3 जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बेबुनियाद और मिथ्या बताया है। अप्रार्थी संख्या–1 का विवाह दिनांक 01.12.2021 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार नाबालिग अवस्था में अनुचित दवाब डालकर किया गया था। अप्रार्थी की शादी में केवल 21 आदमियों के बीच एक साधारण शादी हुई थी और बस्तीराम ने अपने लडके व लडकी की शादी का रिसेप्शन एक ही दिन तय किया हुआ था। अप्रार्थी को शादी में कोई दहेज व सामान ना दिया है और ना ही अप्रार्थी ने कभी भी कम दहेज देने का ताना नहीं मारा, ना ही गलत व्यवहार, गाली गलौच व मारपीट की हैं प्रार्थिया के पिता मय प्रार्थिया आलीशान दो करोड़ की कोठी में भिवाड़ी में रह रहे हैं

राजस्थान शिक्षा विभाग के सरकारी प्रिंसीपल पद से रिटायर्ड है और मासिक पेंशन 80,000 /– रूपये ले रहे हैं और दोनो भाई कमल व आकाश ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई है व दोनों भाई मासिक एक–एक लाख रूपये प्रति माह के वेतन पर कार्यरत है। अप्रार्थी के नाम कोई जायदाद या मकानात या किरायानामा वगैरा से कोई आमदनी नहीं है व बीए फाइनल का विद्यार्थी और माता की कमाई पर निर्भर है। अंत में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

4. न्यायालय द्धारा उभय पक्षों को सुना जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2024 को पारित अप्रार्थी संख्या–1 को प्रार्थिया को प्रतिमाह 5,000/– रूपये अदा करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या–1 उदित कुमार उर्फ हनी ने उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत करते हुए उसमें यह कथन अंकित किये है कि दिनांक 08.07.2022 को प्रार्थिया अंजली ने अप्रार्थी की माता सीमा देवी को सर व माथे पर लकडी के डंडे से मारपीट की थी । इसके बाद उदित अपनी माता श्रीमती सीमा देवी को पुलिस थाना रामपुरा में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा तो प्रार्थिया अंजली ने हमारे पीछे से अप्रार्थी की ताई श्रीमती राजबाला के साथ उक्त डंडे से मारपीट की, जिस पर आस–पडौस के आदमी आ गये जिन्होने मिन अप्रार्थी की ताई को छुडवाया तो यह गुस्से में आकर लाठी लेकर अंजली को मारने दौडी तो अंजली ने अपने आपको कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद राजबाला ने गुस्से में आकर उक्त कमरे व दरवाजे य खिड़की को लाठी से खोलना चाहा और दरवाजे व खिडकी को लाठी से जोर–जोर से बजाया। राजबाला अपने पति व बच्चो के साथ अलग परिवार में रह रही है। अन्तरिम भरण–पोषण में जो फोटो व सीडी एवं पैन ड्राईव पेश की है, उसमें मिन अप्रार्थी व उसके परिवारजन का कोई भी सदस्य हाजिर नही था। इस तरह प्रार्थिया ने असल तथ्यों को तोड मरोडकर पेश करके अदालत श्रीमान को गुमराह किया है। दिनांक

08.07.2022 को अंजली ने अप्रार्थी की माता को डण्डो से पीटा तो हम पुलिस थाना रामपुरा रेवाडी में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए एक दरख्वास्त पेश की, जिस पर पुलिस बिना महिला पुलिसकर्मी के अंजली को थाने में लाने के लिए पहुंची तो अंजली ने थाने में आने से साफ इन्कार कर दिया। इसके बाद मुकामी पुलिस बमय महिला पुलिसकर्मी अंजली को लेकर रामपुरा थाने में पंहुची। इसके बाद पुलिस ने दोनो पक्षो के राजीनामा करवाने की कोशिश की तो अंजली ने अपने माता–पिता को टेलीफोन कर दिया व 15–16 आदमी दो गाडियों में बैठकर आ पहुंचे और मुकामी पुलिस पर काफी दबाव बनाया तो पुलिस अप्रार्थी व माता सीमा को मेडिकल मुआयना करवाने हेतु सिविल अस्पताल रेवाडी में ले गये। इसके बाद दिनांक 09.07.2022 को सायं 4:00 बजे अस्पताल से छुट्टी होने के उपरान्त घर पहुंचे तो अंजली व उसके माता–पिता दोनो भाई बमय 15–16 आदमी दो गाडियों में भरकर अपने मायके ले गई और दिनांक 09.07.2022 को महिला पुलिस थाना भिवाडी में अप्रार्थी के खिलाफ दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया कि गैर–निगरानीकार संख्या–1 अपने पिता के पास भगत सिंह कॉलोनी भिवाडी में मजबूरन रह रही है। गैरनिगरानीकार संख्या–1 का पिता काफी बुजुर्ग व्यक्ति है, जो कि कमाने खाने में असमर्थ है। गैर–निगरानीकार संख्या–1 के पिता के पास आमदनी का कोई जरिया नही है, ना ही गैर–निगरानीकार सं. 1 के पास आमदनी का कोई जरिया है। जबकि निगरानीकार जो कि जमीन जायदाद व मकान किराया से लगभग 40 हजार रूपये प्रतिमाह कमा लेता है साथ ही प्राईवेट तौर पर कार्य करके लगभग 15,000/– रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त अर्थात कुल लगभग 55,000/– रूपये प्रतिमाह कमा कर अर्जित कर लेता है। गैर–निगराकार सं. 1 को उसके भरण–पोषण बाबत 25,000/– रूपये प्रतिमाह दिलवाये जावे। जिसके जवाब में मिन निगरानीकार/अप्रार्थी ने यह कथन किये कि गैर–निगरानीकार संख्या–1 को प्रार्थना पत्र अन्तरिम भरण–पोषण व स्थाई गुजारा भत्ता प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनी हक व वाद कारण हासिल नहीं है, क्योकिं मिन निगरानीकार वक्त शादी

नाबालिग था और आज तक उक्त शादी को कंज्यूम नही किया है, अर्थात् निगरानीकार व गैरनिगरानीकार सं. 1 के बीच कभी भी कोई वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नही हुये है कि प्रार्थिया व अप्रार्थी की शादी दिनांक 01.12.2021 को हुई थी और अप्रार्थी की जन्मतिथि 18.09.2001 है। अर्थात् उक्त शादी के समय अप्रार्थी की उम्र 20 वर्ष से भी कम थी और हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार शादी के समय लडके की उम्र 21 वर्ष व लडकी की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि इससे कम उम्र होती है तो वह शादी शून्यीकरण होती है। गैर–निगराकार संख्या–1 ने समस्त तथ्य मिध्या, मनगढंत एवं बेबुनियाद दर्ज किये हैं। गैर–निगराकार संख्या–1 का समस्त स्त्रीधन उसी के पास है। निगराकार ने उसके साथ कोई मारपीट नही की, ना ही यातनाएं दी, ना ही तंग व परेशान किया है। मिन निगरानीकार / अप्रार्थी जो कि विधार्थी है एवं बेरोजगार है, जिसने सैशन 2022–23 में बी०ए० फाईनल की परीक्षा दी है और वर्ष 2023–24 में डी०एम०एल०टी० प्रथम वर्ष की परीक्षा दी है और अब द्वितीय वर्ष की पढाई कर रहा है, जो आज दिन भी अपनी शिक्षा का खर्च व अपने जीवनयापन के लिए अपने माता–पिता की आमदनी पर निर्भर है। ना ही मिन निगरानीकार के पास कोई जमीन जायदाद है। जब कि गैरनिगरानीकार सं. 1 एम.कॉम. बी. एड. है. जो प्राईवेट विद्यालय में पिछले 4 सालो से मुबलिग 30,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन पर कार्यरत रही थी तथा वर्तमान में एच.डी. एफ.सी. बैंक शाखा नीलम चौक भिवाडी में डीमेट शाखा मे बतौर एस.ओ. पद पर पे–ऑन रोल पर मुबलिग 30,000/– हजार रूपये मासिक वेतन पर अस्थायी पद पर कार्यरत है, जो अपना गुजारा व भरण–पोषण करने में स्वयं सक्षम है। गैर–निगरानीकार सं. 1 एक पेशेवर लड़की है, जिसने मिन निगरानीकार से दान दहेज बारे पैसे ऐंठने व दहेज का मुकदमा का डर दिखाकर 50 लाख रूपये ऐंठने की गरज से उक्त शादी की थी। इसलिए उसने जानबूझकर निगरानीकार से शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाये। गैर निगरानीकार संख्या–1 के साथ निगराकार की शादी होने से पूर्व ही गैर–निगराकार संख्या–1,

दो अन्य शख्स से लिव इन रिलेशन में रहकर इस तरह से 8–10 लाख रूपये ऐंठ चुकी है। इसे गवाही में साबित कर दिया जावेगा। गैर–निगराकार संख्या–1 ने सारे तथ्य मिथ्या एवं तोड–मरोडकर पेश करके समस्त कार्यवाही फर्जी व बनावटी पेश की है। दिनांक 03.08.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर निगराकार संख्या–1 के अन्तरिम भरण पोषण हेतु 5,000/– रूपये प्रतिमाह बतौर अन्तरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की दिनांक से अदा करने के आलोच्य आदेश पारित किये गए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि, तथ्यों एवं समय–समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांतो के विपरीत पारित किया है, जो हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। गैर–निगराकार/प्रार्थिया निगराकार/अप्रार्थी की विधिक पत्नी नहीं है। ऐसी सूरत में गैरनिगरानीकार सं. 1. मिन निगराकार से कोई भी भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारनी नहीं है। साथ ही मिन निगरानीकार द्वारा अपने विवाह को शून्य कराने बाबत एक मुकदमा डी०एस०सी०/143/2024 बअनुवानी उदित बनाम अंजली माननीय न्यायालय अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश महोदय रेवाडी में दायर किया हुआ है, जो विचाराधीन है। यदि अप्रार्थी को उक्त भरण पोषण देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जायेगा तो अप्रार्थी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, जिसके हर्जा–खर्चा की क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में नहीं हो सकेगी। अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया पक्षकारान के स्टैण्डर्ड ऑफ लिविंग एवं परिवार के स्टेटस एवं पक्षकार की आय को मध्यनजर रखते हुए मिन निगरानीकार के विरूद्ध गैरनिगराकार संख्या–1 को अदायगी अन्तरिम भरण पोषण की राशि का आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन वैधानिक तथ्यों पर गौर किये बिना जो आलीच्य आदेश पारित किया है. यह आदेश अशुद्ध, अवैध, औचित्यहीन एवं अनियमित होने के कारण हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। निगराकार एवं गैर–निगराकार संख्या–1 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनेश बनाम नेहा एवं अन्य

किर्मिनल अपील सं. 730/2020 निर्णित दिनांक 04.11.2020 में धारा 125 जा०फी० पत्नी के भरण पोषण कानून के तहत भरण पोषण की मात्रा अवधारित करने हेतु दिशा निर्देश विरचित किये है। उसकी अनुपालना में पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये थे। अंत में निगराकार /अप्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भिवाडी जिला अलवर की द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2024 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. बहस निगरानी सुनी गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया।

6. बहस के प्रक्रम पर विद्वान अभिभाषक निगराकार का तर्क है कि अप्रार्थी संख्या–1 का विवाह दिनांक 01.12.2021 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार नाबालिग अवस्था में अनुचित दवाब डालकर किया गया था। अप्रार्थी की शादी में केवल 21 आदमियों के बीच एक साधारण शादी हुई थी और बस्तीराम ने अपने लडके व लडकी की शादी का रिसेप्शन एक ही दिन तय किया हुआ था। अप्रार्थी को शादी में कोई दहेज व सामान ना दिया है और ना ही अप्रार्थी ने कभी भी कम दहेज देने का ताना नहीं मारा, ना ही गलत व्यवहार, गाली गलौच व मारपीट की हैं। गैर–निगराकार ने गलत तथ्यों के आधार पर अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरणों के तथ्यों पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2024 पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 03.08.2024 विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत Madan V/s The State of Rajasthan and Anr. Dated 28.08.1992 पेश किया है।

7. विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार संख्या–1 ने दौराने बहस कथन किये है कि प्रार्थिया का विवाह दिनांक 01.12.2021 को अप्रार्थी संख्या–1 उदित उर्फ हनी के साथ हिन्दू रीति–रिवाज व धर्म बिरादरी के अनुसार वेदान्ता रिसोर्ट भिवाडी में संपन्न हुआ था। प्रार्थिया, अप्रार्थी संख्या–1 की विवाहिता पत्नी हैं। प्रार्थिया के पिता ने प्रार्थिया की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर काफी दान–दहेज व स्त्रीधन दिया था तथा प्रार्थिया की शादी में करीब 20 लाख रूपये खर्चा कर प्रार्थिया को राजी खुशी विदा किया था। प्रार्थिया जब विवाह पश्चात अपनी ससुराल गई तो प्रार्थिया ने अपने पत्नी धर्म व कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये तथा अप्रार्थी व उसके परिजनों की स्नेह व सम्मान देते हुये अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करना शुरू किया। प्रार्थिया ने अप्रार्थी व उसके परिवार को कभी किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दिया। मिन प्रार्थिया ने विवाह उपरान्त अप्रार्थी संख्या–1 की पति का पूर्ण दर्जा एवं सम्मान दिया तथा उसके परिवारजन व रिश्तेदारान (शेष अप्रार्थीगण) को भी पूरा सम्मान दिया, उनके साथ कभी किसी तरह का अनुचित एवं असामाजिक व्यवहार नहीं किया। अप्रार्थी व उसके परिवारजन व रिश्तेदारान, दहेज लोभी व लालची किस्म के लोग है, जिन्होने विवाह उपरान्त से ही मिन प्रार्थिया को कम दहेज लाने का ताना देकर गाली–गलौच व मारपीट कर दहेज की नाजायज मांग कर मानसिक, शारीरिक, शाब्दिक एवं भावनात्मक रूप से प्रताडित करना आरम्भ कर दिया। प्रार्थिया के माता–पिता को उक्त बातो की जानकारी लगने पर अप्रार्थी संख्या–1 व उसके परिजनों को काफी समझाया, लेकिन उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण से तंग व परेशान होकर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 92/2022, मुकामी महिला पुलिस थाना निवाडी के यहां दर्ज कराई थी, जिस संबंध में मुकामी महिला पुलिस थाना भिवाडी ने चार्जशीट न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर दी है। शादी के बाद से ही प्रार्थिया का ससुर कहता था कि तू क्रेटा टॉप मॉडल गाडी नहीं लेकर आई और ना ही नकदी लेकर आई है, ऐसा कहकर प्रार्थिया को परेशान करता था, साथ ही अप्रार्थी

संख्या–1 प्रार्थिया से कहता कि हमारे घर में ए.सी. नहीं है । अपने मॉ–बाप से ए.सी. लेकर आओ, जिस पर प्रार्थिया ने अपने मॉ–बाप से कहकर ए.सी. मंगाया और अप्रार्थी संख्या–1 के घर में ए.सी. लगवाया। दिनांक 08.07.2022 को प्रार्थिया के ससुरालजन ने बुरी तरह मारपीट की तथा प्रार्थिया के कमरे की लाईट बन्द कर दी और प्रार्थिया को बुरी तरह प्रताडित किया। जब प्रार्थिया ने 112 पुलिस हैल्प लाईन नम्बर पर फोन किया तो स्थानीय पुलिस ने प्रार्थिया की मदद की वरना उपरोक्त प्रार्थिया को जान से खत्म कर देते। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 03.08.2024 उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पारित किया है, जो पूर्ण रूप से विधि सम्मत है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये गयेः–

1. Anshul Kulshreshtha V/s Smt. Swarnima Kulshreshtha
S.B Criminal Rev. No 483/2018 Dated 31.08.2018.

2. Girish Kumar Suneja V/s C.B.I Criminal appeal no 1137
of 2017

8. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2024 पूर्ण रूप से विधि सम्मत होने का कथन करते हुए निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

9. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

'' क्या आक्षेपित आदेश दिनांक 03.08.2024 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से उचित है? ''

10. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली व आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2024 का अवलोकन करने के पश्चात यह प्रकट होता है कि उक्त आक्षेपित आदेश मे माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अंकित गया गया है किः–

> *"उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री का गहनता से परिशीलन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रार्थिया अंजली व अप्रार्थी संख्या–1 उदित का विवाह हिन्दू रीति–रिवाज से सम्पन्न हुआ था एवं प्रार्थिया, अप्रार्थी संख्या–1 की आज तक विवाहिता पत्नी है। इसलिए अप्रार्थी संख्या–1 का ना केवल विधिक दायित्व है, अपितु नैतिक व सामाजिक दायित्व भी है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। प्रार्थिया, एवं अप्रार्थी संख्या–1 के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित है और प्रार्थिया को अपने भरण–पोषण के लिए अपने माता पर निर्भर रहना पड रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह निष्कर्षित किया जा सकता है कि वह अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है। जहाँ तक अप्रार्थी संख्या–1 के आय के साधनों के परिप्रेक्ष्य में विचार करे तो यद्यपि अप्रार्थी ने स्वयं के पास आय के कोई साधन नहीं होना तथा अप्रार्थी ने बेरोजगार होना बताया है, परन्तु उक्त आधार पर ही अप्रार्थी संख्या–1 अपने विधिक नैतिक तथा सामाजिक दायित्व से बच नहीं सकता। अतः अंतरिम भरण पोषण के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और उभय पक्षों की स्थिति प्रकरण के सभी तथ्यों, परिस्थितियों एवं वर्तमान महंगाई के युग को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थिया, अंजली को*

5000/–रू प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण की राशि अप्रार्थी संख्या–1 उदित से दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

एतद द्वारा प्रार्थीया की अंतरिम भरण–पोषण की मांग स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि प्रार्थिया, अंजली अप्रार्थी संख्या–1 उदित से प्रार्थना पत्र पेश किए जाने की दिनांक से 5000/– रूपये बतौर अंतरिम भरण पोषण प्रतिमाह प्राप्त करने की अधिकारी होगी। यदि प्रार्थिया, किसी अन्य प्रकरण में कोई राशि अप्रार्थी संख्या–1 से प्राप्त कर रही है तो उक्त राशि में समायोजित की जावे। कार्यवाही व्यय/वाद व्यय व अनुतोष का निर्धारण मूल प्रकरण में उभय पक्षों की साक्ष्य आने के पश्चात किया जायेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर शामिल मूल पत्रावली रहे । "

11. सुना, गया पत्रावली का अवलोकन किया गया । हस्तगत निगरानी याचिका में विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 03.08.2024 को इस आधार पर अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है कि उक्त आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर–निगराकार संख्या–1 अंजली को निगराकार उदित से 5,000/– रूपये बतौर अंतरिम भरण पोषण प्रतिमाह दिये जाने का जो आदेश दिया गया है, वह विधि विरूद्व है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Madan V/s The State of Rajasthan and Anr. Dated 28.08.1992 में प्रतिपादित सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण के तथ्य भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते। हस्तगत प्रकरण में निगराकार उदित कुमार उर्फ हनी व गैर–निगराकार संख्या–1 अंजली के मध्य संपादित विवाह दिनांक 01.12.2021 को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य व अवैध नहीं किया गया, ना ही विवाह को विघटित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

12. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुकूल है। अतः निगराकार/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य व विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2024 पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

13. परिणामस्वरूप, निगराकार/अभियुक्त **1.उदित कुमार उर्फ हनी पुत्र अजय कुमार, निवासी–भारत गैस गोदाम के पास, बेरली रोड, हजारी बास के पास, रेवाडी, जिला–रेवाडी हरियाणा द्वारा** प्रस्तुत निगरानी याचिका विरूद्ध गैर–निगराकारान 1. **अंजली पत्नी उदित कुमार उर्फ हनी, पुत्री बस्तीराम चौहान, हाल–निवासी बी–61, भगत सिंह कॉलोनी भिवाडी, पुलिस थाना–भिवाडी, जिला–अलवर, हाल जिला–खैरथल–तिजारा, राजस्थान व 2. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक** अस्वीकार कर खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2024 पुष्ट किया जाता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ अविलंब लौटाई जाये।

(डॉ0 जीतेन्द्र सावंरिया)
अपर सैशन न्यायाधीश
भिवाडी, जिला खैरथल तिजारा

14. आदेश आज दिनांक 21.07.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

डॉ0 जीतेन्द्र सावंरिया
अपर सैशन न्यायाधीश
भिवाडी, जिला खैरथल तिजारा